संख्या-76/2017/3053 ई-2/तेरह-2017-135/2017

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 दिसम्बर,2017

विषयः-सिविल अपील संख्या-12164-12166/2016 में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दि0 15-12-2016 व 31-03-2017 के अनुपालन में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से विस्थापित आबकारी दुकानें, जो अद्यतन स्थानान्तरित/संचालित नहीं हो सकी हैं, की जमा धनराशियों की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-205/दस-लाइसेंस-25/वे0ला0फी0/प्रतिभूति वापसी-2017-18, दिनांक 11 अगस्त,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें विशिष्ट जोन, मेरठ को छोड़कर प्रदेश के अन्य 04 जोनों (वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एवं आगरा) में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त आदेशों के अनुपालन में नियमानुकूल स्थान न मिल पाने के कारण असंचालित 529 अभ्यर्पित आबकारी दुकानों के अनुज्ञापियों में से 08 विभिन्न जनपदों के 62 अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के सापेक्ष जमा धनराशियों को वापस किये जाने के संदर्भ में योजित रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा प्रकरणों को 03 माह में निस्तारित किये जाने के निर्देशों के दृष्टिगत उक्त दुकानों हेतु जमा धनराशियों की वापसी के लिये निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त आदेशों के अनुपालन में विशिष्ट जोन, मेरठ को छोड़कर प्रदेश के अन्य 04 जोनों (वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एवं आगरा) में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से विस्थापित आबकारी दुकानें, जो अद्यतन स्थानान्तरित/संचालित नहीं हो सकी हैं तथा अनुज्ञापियों द्वारा वापसी की मांग की गई है, की जमा धनराशियों की वापसी हेतु दुकानों का पुनः भौतिक सत्यापन कराकर आबकारी अधिनियम,1910 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in